

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:—जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चित्तौर घाईसैन होते हुए अपर तलाई तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है० वनभूमि का लो०नि०वि०, को हस्तांतरण।

उपरोक्त विषयक प्रस्तावित मार्ग शासनादेश संख्या 70003/111(2)/18-23 (एम०एल०ए०)/17 टी०सी० लोक निर्माण अनुभाग 2 देहरादून दिनांक 18.12.2019 के द्वारा निर्माण हेतु स्वीकृत है प्रस्तावित मार्ग कालीमाटी से प्रारम्भ होता है, भोपालपानी से कालीमाटी तक मार्ग पूर्व से ही निर्मित है। उक्त मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी० है। उक्त मार्ग का समरेखण नापभूमि सिविल भूमि व वनभूमि से होकर गुजरता है। इस मार्ग के निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को अपनी कृषि उत्पादों को मंडी देहरादून तक पहुंचाने में लगभग 20.00 किमी० की लम्बाई का मार्ग कम तय करना पड़ेगा पहाड़ों में 20.00 किमी० की दूरी बहुत अधिक होती है। स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादन के विपणन में जो कठिनाई आती है उसका समाधान स्वतः ही हो जायेगा। इस मार्ग के समरेखण में लड़वाकोट ग्राम पंचायत व लड़वाकोट ग्राम पंचायत के तोक कालीमाटी, चित्तौर, घाईसैन एवं अपर तलाई के लोगों को उक्त मार्ग के निर्माण से रायपुर—थानों मुख्य मार्ग के जुड़ने से लाभान्वित हो जायेंगे एवं भविष्य में इस मार्ग के निर्माण होने से ग्राम लड़वाकोट में पर्यटन की अत्याधिक सम्भावना बन जायेगी, जिससे वहां के ग्राम वासियों को रोजगार उपलब्ध हो जायेगा। मैदानी क्षेत्रों में न के बराबर पलायन होने की सम्भावना है, यह मार्ग मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त मार्ग के निर्माण न होने से स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों द्वारा लोक निर्माण विभाग कार्यालय एवं वनविभाग कार्यालय में पूर्व में अक्रोश प्रकट किया जा चुका है। इस मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना एवं पिछड़े क्षेत्र का विकास करना है। जिससे पर्यटन में वृद्धि होगी स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध होंगे। मार्ग निर्माण होने से बरसात में किसान अपनी कृषि उपज को देहरादून मण्डी तक पहुंचाने शिक्षा एवं आपातकालीन चिकित्सा आदि की सुविधा भी उपलब्ध हो पायेगी। पर्यटकों के आवागमन से स्थानीय जनता की आर्थिकी को भी बल मिलेगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अभिजास अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश